न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरि सिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादी :–

अर्जुनराम पुत्र लालाराम जाट

सा. राजलिया तह. नांवा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. उमाराम पुत्र लालाराम जाट सा. राजलिया
2. लिछमणराम पुत्र लालाराम जाट सा. राजलिया
3. सोहनीदेवी पत्नी लिछमणराम जाट सा. राजलिया
4. गंगादेवी बैवा बलदेवाराम जाट सा. पुरोहितो का बास
5. भागूराम पुत्र बलदेवाराम जाट सा. पुरोहितो का बास
6. बजरंगलाल पुत्र बलदेवाराम जाट सा. पुरोहितो का बास
7. मांगीलाल पुत्र बलदेवाराम जाट सा. पुरोहितो का बास
8. रामेश्वर पुत्र भोलूराम जाट सा. पुरोहितो का बास
9. पतासी बैवा भोलूराम जाट सा. पुरोहितो का बास
10. रामदेवराम पुत्र अर्जनराम जाट सा. पुरोहितो का बास
11. श्योजीराम पुत्र अर्जनराम जाट सा. पुरोहितो का बास
12. राजूराम पुत्र अर्जनराम जाट सा. पुरोहितो का बास
13. श्रवण पुत्र अर्जनराम जाट सा. पुरोहितो का बास
14. माली पुत्री अर्जनराम जाट सा. पुरोहितो का बास
15. मोहनी पुत्री अर्जनराम जाट सा. पुरोहिता का बास
16. गीता पत्नी अर्जनराम जाट सा. पुरोहितो का बास
17. रणजीत पुत्र मोटाराम जाट सा. सुरेरा
18. राजूराम पुत्र गोपीराम जाट सा. राजलिया
19. रिछपाल पुत्र गोपीराम जाट सा. राजलिया
20. सन्तोषदेवी पुत्री गोपीराम जाट सा. राजलिया
21. सुखा पुत्री गोपीराम जाट सा. राजलिया

उपखण्ड अधिकारी
नांवां

22. दुर्गा पुत्री गोपीराम जाट सा. राजलिया

23. कमला पुत्री गोपीराम जाट सा. राजलिया

24. मोहनी पुत्री गोपीराम जाट सा. राजलिया

25. नोपाराम पुत्र हुक्माराम जाट सा. राजलिया

26. धन्नाराम पुत्र हुक्माराम जाट सा. राजलिया

27. पतासी पत्नी छिगनाराम जाट सा. पुरोहितो का बास

28. रामलाल पुत्र छिगनाराम जाट सा. पुरोहितो का बास

29. सोहनलाल पुत्र छिगनाराम जाट सा. पुरोहितो का बास

30. धर्माराम पुत्र छिगनाराम जाट सा. पुरोहितो का बास

31. भंवरीदेवी पत्नी हणमान जाट सा. पुरोहितो का बास

32. गोविन्द पुत्र हणमान जाट सा. पुरोहितो का बास

33. एस.बी.बी.जे. शाखा मारोठ

34. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा चौमू

35. तहसीलदार नावां

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारी की घोषणा व बंटवारा

उपस्थित :– श्री बजरंगलाल वकील वादी

श्री राजेश कुमावत वकील प्रतिवादी 34

मुकदमां नम्बर :– 143/17

निर्णय दिनांक :– 31.01.2018

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम केरियावास पटवर हल्क मारोठ के खसरा नम्बर 414, 417, 421, 422, 423 कुल रकबा 13.83 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जिसमें तत्कालिन खातेदार हेमाराम पुत्र कानाराम जाट निवासी पुरोहिता का बास का 2/5 हिस्सा खातेदारी व कब्जे काश्त में रहा हैं जो सम्पूर्ण दिनांक 14.09.1994 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान से वादी व प्रतिवादी 1 व 2 ने बहिस्सा बराबर खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया हैं खरीद के दिन से वादी व प्रतिवादी 1, 2 भूमि में काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
नावां

खरीद से पूर्व ही तत्कालिन खातेदार हेमाराम पुत्र कानाराम व अन्य सह खातेदारो ने उक्त सम्पूर्ण भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा कर अलग अलग काबिज काश्त करते आ रहे हैं तथा सीवें माठे कायम कर रखी थी। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 414 रकबा 6.20 हैक्टयर भूमि में पूर्वी तरफ हेमाराम पुत्र कानाराम का 2/5 हिस्सा यानि 5.53 हैक्टयर भूमि पर काबिज काश्त था तथा बैचान के बाद उक्त भूमि का कब्जा वादी व प्रतिवादी 1 व 2 को सुपुर्द किया था जिस पर वादी व प्रतिवादी 1, 2 काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त 5.53 हैक्टयर भूमि में वादी व प्रतिवादी 1, 2 प्रत्येक 1/3 , 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी 2 ने अपने हक हिस्से की भूमि में विधुत कनेक्शन लेने हेतु अपने हक हिस्से की भूमि को अपनी पत्नी प्रतिवादी 3 के पक्ष में हस्तान्तरण कर दी हैं जिससे खसरा नम्बर 414 रकबा 6.20 हैक्टयर भूमि में पूर्वी तरफ उत्तर – दक्षिण लम्बाई में 0.67 हैक्टयर भूमि को छोड़कर पश्चिमी तरफ की शेष 5.53 हैक्टयर भूमि में वादी व प्रतिवादी 1 से 3 काबिज काश्त हैं जिसमें 1/3 हिस्सा वादी का तथ्झा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 1 का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 2, 3 का स्थित चला आ रहा हैं। इसी अनुसार खातेदारी घोषणा करवाकर वादी ने बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 3 ने इकबालिया जवाब पेश कर वादी के वाद को सही होने से स्वीकार किया हैं तथा प्रतिवादी 34 ने जवाब पेश कर बैंक के रहन हिस्से को प्रभावित नहीं करते हुऐ बंटवारा किया जाता हैं तो कोई आपत्ति नहीं होना अपने जवाब में बताया हैं शेष प्रतिवादीगण के सम्मन आबाद मकान पर चस्पा होने के बाद अनुपस्थि रहने पर शेष प्रतिवादीगण के सम्मन स्थानिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाऐ जाने के बाद भी एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खातेदार हैं। वादी व प्रतिवादी 1 से 2 ने तत्कालिन खातेदार हेमाराम पुत्र कानाराम से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान से खरीद की हैं तथा हेमाराम ने बैचान के समय इकरारनामा तकमील किया हैं जिसमें सम्पूर्ण भूमि में 2/5 हिस्सा खातेदारी व कब्जे काश्त में होना अंकित किया हैं इसी माफिक वादी व प्रतिवादी 1, 2 को कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
नावां

सुपुर्द किया हैं जिस पर वादी व प्रतिवादी 1, 2 दिनांक 14.09.1994 को खरीद के दिन से काबिज काश्त हैं जिसको प्रतिवादी 1, 2, 3 ने स्वीकार किया हैं शेष प्रतिवादीगण के सम्मन विधित तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं। वादी व प्रतिवादी 1, 2, 3 उक्त विवादित भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिनको अपने हक हिस्से व खातेदारी भूमि का विधितव रूप से बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करवाने का कानूनी अधिकार हैं। राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज हैं, जिसमें हक हिस्सा दर्ज नहीं हैं, जिससे वादी को उक्त विवादित भूमि में अपने हक हिस्से की खातेदारी घोषणा करवा कर बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकार हैं। वादी की साक्ष्य में कालूराम पुत्र सालगराम व पुरणराम पुत्र गोमाराम जो उक्त विवादित भूमि के पड़ौसी खातेदार हैं ने अपने बयानों वादी के वाद को सही होना स्वीकार किया हैं तथा मौके पर 2/5 हिस्से पर खरीद के दिन से काबिज काश्त होना बताया हैं। जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम केरियावास के खसरा नम्बर 414, 417, 421, 422, 423 कुल रकबा 13.83 हैक्टयर भूमि में खसरा नम्बर 414 रकबा 6.20 हैक्टयर भूमि में पश्चिमी तरफ की 5.53 हैक्टयर भूमि में वादी को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी 1 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी 2, व 3 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषण किया जाता हैं, खसरा नम्बर 414 की शेष भूमि 0.67 हैक्टयर एवं अन्य खसरान की भूमि में से वादी व प्रतिवादी 1 से 3 का नाम हटाया जाता हैं। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण 1 से 3 की खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खातेदारों की भूमि जो रहन हैं वो निर्णय की पालना के पश्चात भी रहन दर्ज रहेगी। स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
(हरि सिंह लखौरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा